

The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981

Act 20 of 1981

Keyword(s): Secretary, Service, Speaker

Amendment appended: 21 of 2018

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

हाक व्यय की पूर्व बदायगों को बिना डाक द्वारा भेजे जाने से लिये अनुमत. बनुमति-पन क्रमांक भोपाल-505 डब्ल्यू. पी.

পঁখী ক্ষমাক ধৰিয়াৰ হিজীৱৰ 122 (एय. थी.)

the an ask way we

गांचन गया गांच्या हो का न

FUEL Y A DE VA POR and an fairman fair a





(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित ील्यस हो गण बहु सटन हा ब

্যান্য

A APPIDER

क्रमांक 178] चीरात, गुक्रवार, दिसांक 8 मई 1981--नैशाख 18, गरे 1903

हरुगा हे हिन्दु के विधि स्रौर विधायी कार्य विभाग का का लिय

भोपाल, दिनांक द मई १९८द१

कालावधि मी बहिब या गर्ने ग क. १०८७३-इक्कीस-ग्र (प्रा.),मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित ग्रधिनियस, जिस पर दिनांक १ मई, १९८५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है प्रकाशित किया जाता है. विणी सो समया बित कोई कार नहीं, उने तोन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ग्रादेशानुसार, ज. ग्र. खरे, उपसचि ज. ग्र. खर, उपसचिव. का व नरक, तरक । नग भगवा भग मध्यप्रदेश ग्रधिनियम

क्रमांक २० सन् १९८५१.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम , १९६९१ [दिनांक १ मई १९८९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्न" (असाधारण); में दितांक ५ मई १९८९१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा में भत्तीं ग्रीर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने हेत् ग्रधिनियम. MADHIA PRADESH ACT

भारत गणराज्य के बत्तीसर्वे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह ग्रधिनियमित हो :---

- 9. इस मधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा मधिनियम, १९८५१ है. संक्षिप्त नाम.
- ADHINIKAM, 1981
- (क) "सचिव" से ग्रमिप्रेत हैं मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय की सचिव; ा कि कि सिर्वात
 - the Sth May 1991.]
 - (ख) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा; od stoluges of the
 - appointed to the Madaya Fradesh Vidne (ग) "ग्रध्यक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष. Be it enacted by the Machya Prace I wilting in the Thirty-

and Year of the Republic of India (949 1 we .-

I. This Act may be celled the Madhga Drudesh Villion Scriba Sachivalaya Seva Adhiniyana 1981

Sout Lite

950

मध्यप्रदेश राजपत, दिनांक 8 मई 1981

मध्यप्रदेश विघान ३. मध्यप्रदेश विघान सभा सचिवालय सेवा का गठन किया जायगा जिसमें सचिव ग्रौर ऐसे प्रवर्गों के तथा ऐसी खमा सचिवालय संख्या में ग्रन्य ग्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी होंगे जैसा कि राज्यपाल, ग्रध्यक्ष से परामर्श करके, समय-समय पर ग्रवधारित देवा का गठन. करें.

भत्ती और सैवा की ४. राज्यपाल, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा में भत्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की को जतों का विनियमन. विनियमन के लिए नियम, अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकेगा :

> परन्तु कोई नियम, जो संविधान के अनुच्छेद १८७ के खण्ड (३) के अधीन बनाया गया हो और इस अधिनियम प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, तब ठक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह इस धारा के अधीन बनाये गये नियम द्वा निरस्त नहीं कर दिया जाता.

षधिवार्षिकी की षायु.

ध. (१) सचिव उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की श्रायु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन श्रपराह्न में सेवा. निवृत्त हो जायगा, ग्रीर उपधारा (३) के उपबन्धों के ग्रध्यधीन रहते हुए, सेवा में का ग्रन्य सदस्य उस मास के, जिसमें बह ग्रट्ठावन वर्ष की ग्रायु प्राप्त कर ले, ग्रन्तिम दिन श्रपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायगा.

(२) सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, भक्ति दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायगा.

(३) ग्राध्यक्ष, यदि वह विधान सभा सचिवालय के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के हित में ऐसा करना श्रावस्यक समझता है, सेवा में के किसी सदस्य के सेवाकाल में श्रधिवार्षिकी श्रायु के परे, कुल मिलाकर दो वर्ष से प्रनधिक कालावधि की वृद्धि कर सकेगा.

(४) सचिव या सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति को, उसकी पचपन वर्ष की आयु हो चुकने के पत्तात किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवा-निवत्त किया जा सकेगा :

परन्तु सेवा निवृत्ति को, सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान श्रन्तिम श्राहरित (लास्ट ड्राम) बेतन की दरसे करके, तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा.

भोपाल, दिनांक== मई १६८९

इत. १०८७४-इक्कीस-प्र (प्रा.), भारत के संविधान के प्रनुच्छेद ३४८ के खंड (३)के प्रनुसरण में मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ग्रविनियम, १९८९ (क्रमांक २२ सन् १९८९) का ग्रंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एसद्द्वारा एकाफित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ज. ग्र. खरे, उपसचिब.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 1981.

ेता की गयी मन विनियमन करन

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA ADHINIYAM, 1981

[Received the assent of the Governor on the 1st May 1981; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 8th May 1981.]

An Act to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirtysecond Year of the Republic of India as follows :---

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981.

Short title.

Scanned by CamScanner

Amendment of section 2.

(6 et 1952)

1.

2. In clause (a) of section 2 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981), the following words shall be added at the end, namely:—

"and includes a Special Secretary of that Secretariat;".

2. In this Act. unless the context otherwise requires,-

(a) "Secretary" means the Secretary of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat;

- (b) "Service" means the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service;
- (c)"Speaker" means the Speaker of the Madhya Pradesh Vidhan + Sabha.

3. There shall be constituted a Madhya Pradesh Vidhan Sabha Constitution of Secretariat Service consisting of Secretary and such categories of other Madhya Pradesh officers and employees and in such number as the Governor may, in Secretariat consultation with the Speaker, from time to time, determine.

4. The Governor may, in consultation with the Speaker make rules Regulation of for the regulation of recruitment and conditions of service of persons conditions of appointed to the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Service:

Provided that any rule made under clause (3) of Article 187 of the Constitution and in force immediately before the coming into force of this Act shall continue to be in force till repealed by a rule made under this section.

5. (1) The Secretary shall retire from service on the afternoon of Age of superthe last day of the month in which he attains the age of sixty years and annuation. subject to the provisions of sub-section (3) other member of the service shall, retire on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty eight years.

(2) A class IV employee of the service shall retire on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years.

(3) The Speaker may, if he considers it necessary so to do in the interest of the efficient working of the Vidhan Sabha Secretariat, grant extension to a member of the service beyond the age of superannuation for a total period not exceeding two years.

(4) The Secretary or other person appointed to the service may, in the public interest, be retired at any time after he attains the age of fifty five years without assigning any reason by giving him a written notice of three months:

Provided that the retirement can be made effective forthwith on payment of three months salary at the rate last drawn in lieu of the notice.

नियंत्रक, मृद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाश्वित-1981.

1. Added by m.P. Act. 6 of 1982

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई 2018—श्रावण 2, शक 1940

क्रमांक 404]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्र. 12210-244-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **राजेश यादव,** अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २४ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, प्रारंभ. २०१८ है. (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ (क्रमांक २० सन् १९८१) की धारा ५ में.—

- (एक) उपधारा (१) में, दो बार आए शब्द ''साठ वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''बासठ वर्ष'' स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए तथा उपधारा (३) तथा उपधारा (४) को क्रमश: उपधारा (२)
 तथा उपधारा (३) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्र. 12210-244-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 21 OF 2018

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SACHIVALAYA SEVA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 5. 2. In Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981),----

- (i) in sub-section (1), for the words "sixty years" occurring twice, the words "sixty two years" shall be substituted;
- (ii) sub-section (2) shall be omitted and sub-section (3) and sub-section (4) shall be renumbered as sub-section (2) and sub-section (3) respectively.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.